


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/2015-16/72122/पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक:-

12 NOV 2017

आम सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005-की धारा 27 में दिये गये अधिकार के तहत, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं शिकायतों के निवारण के लिये जिला स्तर पर लोकपाल कार्यालय एवं राज्य स्तर पर अपीलेट अथोरिटी कार्यालय स्थापित करने हेतु अपने आदेश क्रमांक L-11011/21/20123-RE-VII दिनांक 16.01.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 04.10.2017 को आयोजित चयन समिति की बैठक में राज्य के 17 जिलों में लोकपाल तथा राज्य में तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी हेतु क्रमशः 28 एवं 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार किया गया है, इसे विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा रहा है। पैनल में नामांकित व्यक्तियों की पात्रता के बारे में सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में आम जनता से टिप्पणी एवं सुझाव विभागीय/ई-मेल/डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। टिप्पणी एवं सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना पूरा नाम व पता अवश्य उल्लेखित करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उससे सम्पर्क किया जा सके।

ई-मेल आई.डी - nrega.raj@gmail.com / pdre_rdd@yahoo.com

विभागीय पता - शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस कमरा नम्बर 8121 उत्तरी पश्चिमी भवन, प्रथम तल, शासन सचिवालय, जयपुर।

लोकपाल के चयन/तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी हेतु पैनल

लोकपाल हेतु पात्रता :- सार्वजनिक प्रशासन, विधि, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्य या प्रबंधन में कम से कम 20 वर्ष के अनुभव के साथ-साथ प्रतिष्ठित, निष्ठावान एवं विवाद रहित अखण्ड, सत्यनिष्ठा का होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो तथा उसकी आयु दिनांक 01.12.2017 को 67 वर्ष से अधिक ना हो।

तीन सदस्यीय अपीलेट अथोरिटी हेतु पात्रता :- प्रतिष्ठित, निष्ठावान, विवाद रहित, अखण्ड, सत्यनिष्ठा का व्यक्ति हो। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं हो। आवेदक को 30 वर्ष का शिक्षा (अध्यापन) के क्षेत्र में या शासकीय सेवा में या सिविल सोसायटी संगठन में कम से कम अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2017 को 66 वर्ष से कम होनी चाहिए।

लोकपाल के चयन हेतु पैनल

| क्र. सं. | जिला | आवेदक का नाम व पता | जन्म तिथि | दिनांक 01.12.2017 को 67 आयु | प्रथम नियुक्ति दिनांक | प्रथम नियुक्ति पद | सेवा निवृत्ति तिथि | सेवा निवृत्ति पद | अनुभव का क्षेत्र | अनुभव अवधि | शैक्षणिक योग्यता |
|----------|-------------|--|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | श्रीगंगानगर | श्री मदन लाल सोनी पुत्र श्री बींजराज सोनी, 39 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर। | 07.02.1956 | 61 वर्ष 9 माह | 1988 | व्याख्याता | 29.02.2016 | अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी | शैक्षणिक | 39 वर्ष | M.Com M.Ed L.L.B |
| 2. | टोंक | श्री अब्दुल जब्बार पुत्र श्री मोहम्मद इस्हाक, शफीक अहमद मन्जिल (व्हाईट हाउस) फिरदौस नगर, रजबन, टोंक। | 11.04.1953 | 64 वर्ष 7 माह | - | - | - | - | समाज सेवा | 30 वर्ष | M.A LL.B |
| 3. | अजमेर | श्री शिवपाल सिंह राठौड़ पुत्र श्री सज्जन सिंह राठौड़ बी 6, जैन मन्दिर लेन हरिमार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर। | 15.03.1956 | 61 वर्ष 8 माह | 20.05.1983 | कनिष्ठ रोजगार अधिकारी | 31.03.2016 | सहायक निदेशक | प्रशासनिक | 32 वर्ष 10 माह | B.Sc L.L.B |

/

